न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 4/7ए/18

गिर्राज बगै. निवासी सौंख बउनवान अमरसिंह बगै. निवासी सौंख

इजराय पत्रावली प्रा.प. आदेश 21नियम 11 सीपीसी का अवलोकन किया। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष पर मनन किया।प्रार्थी हरिसिंह ने न्यायालय सहायक कलक्टर कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.93 बउनवान गिर्राज बगै. बनाम अमरसिंह के निष्पादन/इजराय हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र मैं अंकित किया है कि डिक्री दिनांक 22.09.1993 की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा निर्णय दिनांक 23.03.2018 से स्वीकार की गई है। निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर कठूमर दिनांक 22.09.1993, निर्णय व डिक्री पुनर्विचार(Review) प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर दिनांक 31.03.2009 एवं निर्णय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर दिनांक 23.03.2018 का अवलोकन एवं अध्ययन किया।

मुताबिक निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर कठूमर दिनांक 22. 09.1993 बउनवान गिर्राज वगै. बनाम अमरसिंह के दावा वादीगण डिक्री किया गया। वाद में निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.1993 के विरूद्ध पुनर्विचार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 जाप्ता दीवानी पेश होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 31.03. 2009 द्वारा दावा वादीगण डिक्री किया गया। मुताबिक निर्णय दिनांक 31.03. 2009 के वादीगण को खातेदार घोषित किया गया एवं संशोधित पर्चा डिक्री जारी किया गया। अपील संख्या 88/2012 विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी कठूमर दिनांक 31.03.2009 पेश होने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

अलवर द्वारा निर्णय दिनांक 23.03.2018 द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर का निर्णय दिनांक 31.03.2009 निरस्त किया गया।

प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता की राय में मुख्य कानूनी बिन्दु यह कि न्यायालय सहायक कलक्टर कठूमर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.1993 में पुनर्विचार(Review) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 जाप्ता दीवानी परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा ही निर्णय दिनांक 31.03. 2009 के द्वारा स्वीकार कर दावा वादीगण डिक्री किया गया। Review प्रार्थना पत्र में संशोधित पर्चा डिक्री जारी किये जाने पर पूर्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.1993 का कोई अस्तित्व नहीं बचता हैं। सरल सर्वमान्य कानून है कि पुनर्विचार(Review) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 निर्णय करने वाले न्यायालय में ही पेश होता है। पुनर्विचार(Review) प्रार्थना पत्र स्वीकार होकर दावा डिक्री किये जाने पर पूर्व निर्णय स्वतः ही निरस्त हो जाता है एंव पुनर्विचार(Review) प्रार्थना पत्र खारिज होने पर पूर्व निर्णय स्वतः ही बहाल/प्रभावी रहता है एवं पुनः दावा डिक्री करने एवं संशोधित डिक्री जारी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रस्तुत प्रकरण में पुनर्विचार(Review) प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 31.03.2009 से दावा डिक्री होने पर पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.1993 को परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ने ही निरस्त कर दिया था इसलिये निर्णय दिनांक 22.09.1993 की डिक्री का निष्पादन संभव नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी मदयूम संख्या 7 हरिसिंह द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर RRT 2013(2) बाघा बनाम पोखरी प्रकरण हाजा पर चस्पा नहीं होती है। उल्लेखित नजीर में किसी भी कोर्ट में पुनर्विचार(Review) प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ था। प्रार्थी हरिसिंह द्वारा प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 वास्ते निष्पादन डिक्री दिनांक 22.09.1993 न्यायालय सहायक कलक्टर कठूमर खारिज किया जाता है।

Scanned by CamScanner

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2009 को अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा निर्णय दिनांक 23.03.2018 से निरस्त कर दिये जाने के कारण निष्पादन योग्य कुछ नहीं बचता है।

यह निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner